रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2006/अग्रहायण 22, 1928

No. 185] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2006/AGRAHAYANA 22, 1928

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2006

सं. एल-7/25(8)/2004-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सार्मथ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2004, जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2006 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनसूची का संशोधन** : मूल विनियम की फीस संरचना से संबंधित अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची
फीस संरचना

क्रम सं0	आवेदन का नाम	फीस (रूपए में)
1.	उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन	25 लाख
2.	पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन	5 लाख
3.	कोई अन्य आवेदन, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन को छोड़कर किन्तु इसमें अनंतिम टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन सम्मिलित है।	1 लाख
4.	अंर्तवर्ती आवेदन	20,000/-

5.	न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन	500/- प्रति दिन
6.	न्यायिक अभिलेखों के भागरूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन	10/- प्रति पृष्ठ

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/IV/150/2006/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम तारीख 22.7.2004 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, 11th December, 2006

No. L-7/25(8)/2004/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2004, hereinafter referred to as the principal regulations, namely :—

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT**

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) (Amendment) Regulations, 2006.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. **AMENDMENT OF THE SCHEDULE:** The Schedule, relating to fee structure of the principal regulations shall be substituted as under, namely:

SCHEDULE

FEE STRUCTURE

Sl. No.	Name of application	Fee (in Rs.)
1.	Application for determination of generation tariff	25 lakh
2.	Application for determination of transmission tariff	5 lakh
3.	Any other application, excluding the application for grant of licence but including the application for determination of provisional tariff	1 lakh
4.	Interlocutory Application	20,000/-
5.	Application for inspection of the judicial records	500/- per day

6.	Application for obtaining certified copy of the documents forming part of the judicial records	10/- per page

K. S. DHINGRA, Chief (Law)

[ADVT III/IV/150/2006/Exty.]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 on 22-7-2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2006

सं. एल-7/25(6)/2004-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सार्मथ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करत हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ग्रिड संहिता" कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन संशोधनों का संक्षिप्त नाम भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004 है ;

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **ग्रिड संहिता के अध्याय 1 का संशोधन :** ग्रिड संहिता के अध्याय 1 के खंड 1.3 के उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) आईईजीसी के प्रयोजन के लिए, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और सरदार सरोवर परियोजना (एस एस पी) के उत्पादन केन्द्रों को, अन्तर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों के रूप में समझा जाएगा किन्तु उनकी पारेषण प्रणाली आईएसटीएस का भाग रूप होगी । यह इसलिए है कि उत्तरी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र के कुछ ही राज्यों की बीबीएमबी/एसएसपी में हिस्सेदारी है और उनकी उत्पादन यूनिटों को एक विशेष रीति (सिंचाई अपेक्षाओं के समन्वयन में) में अनुसूचित और प्रेषण किया जाना होता है । बीबीएमबी/ एसएसएनएनएल उत्पादन के अनुसूचीकरण तथा प्रेषण की जिम्मेदीरी निरन्तर बीबीएमबी/ नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण पर इस उपबंध के साथ होगी कि अपने-अपने प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा फायदाग्राहियों के साथ समन्वय करेगा ।"

3. **ग्रिड संहिता के अध्याय 6 का संशोधन :** ग्रिड संहिता के अध्याय 6 के खंड 6.3 के पैरा 3के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"इसी प्रकार, सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) के उत्पादन केन्द्रों के लिए अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के परामर्श से पृथक् रूप से तैयार की जाएगी"।

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/IV/150/2006/असा.]

टिप्पण:- भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तारीख 17.3.2006 को भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग-3, खंड- 4 में अधिसूचित की गई थी और तारीख 28.8.2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 द्वारा अधिसूचित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, 11th December, 2006

No. L-7/25(6)/2004/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes further the following amendments to the Indian Electricity Grid Code (hereinafter referred to as "the Grid Code"), namely :—

1. **Short title and commencement:** (1) These amendments may be called the Indian Electricity Grid Code (Second Amendment), 2006;

(2) These amendments shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Chapter 1 of the Grid Code**: Sub-clause (iii) of Clause 1.3 of Chapter 1 of the Grid Code shall be substituted as under:

"(iii) For the purpose of the IEGC, the generating stations of the Bhakra Beas Management Board (BBMB) and Sardar Sarovar Project (SSP) shall be treated as intra-State generating stations, though their transmission systems shall be a part of the ISTS. This is because of the fact that only some of the States of Northern Region/Western Region have a share in BBMB/SSP, and their generating units have to be scheduled and dispatched in a very special manner (in coordination

with the irrigational requirements). The scheduling and dispatch of the BBMB/SSP generation shall continue to be the responsibility of the BBMB/Narmada Control Authority (NCA), with a proviso that it shall be duly coordinated with the respective Regional Load Dispatch Centre and the beneficiaries."

3. **Amendment of Chapter 6 of the Grid Code:** Para 3 of Clause 6.3 of Chapter 6 of the Grid Code shall be substituted as under:

"Similarly, the scheduling and dispatch procedure for the generating stations of Sardar Sarovar Project (SSP) shall be separately formulated by the Western Regional Load Dispatch Centre (WRLDC) in consultation with Narmada Control Authority (NCA)."

K. S. DHINGRA, Chief (Law)

[ADVT III/IV/150/2006/Exty.]

Note : The Indian Electricity Grid Code was notified in Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 on 17-3-2006 and were amended by notification published in the Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 on 28-8-2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2006

सं. एल-7/25(6)/2004-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2006 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियम 14 का संशोधन** : मूल विनियमों के विनियम 14 के खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (v) दीर्घकालिक और अल्पकालिक ग्राहकों की अपेक्षाओं का प्रबंध करने के पश्चात्, जैसा पात्र इकाईयों द्वारा उस पूर्ववर्ती दिन के, जिस दिन के लिए अनुसूचियां तैयार की जा रही हैं, 3.00 बजे सायं तक सलाह दी गई है, उपलब्ध किसी भी पारेषण क्षमता को

4480 GI/06-2

उपयोग के लिए इन विनियमों के विनियम 22 के, यथास्थिति, खंड (ii) के उपखंड (ग) या उपखंड (iii) के उपखंड (ख) के अनुसार निर्मुक्त किया जा सकेगा ।"

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/IV/150/2006/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम तारीख 6.2.2004 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे और तारीख 23.2.2005 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 द्वारा अधिसूचित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, 7th December, 2006

No. L-7/25(6)/2004/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to further amend the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "the principal regulations") namely :—

1. **Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-state Transmission) (Amendment) Regulations, 2006.

(2) These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 14:** After Clause (iv) of Regulation 14 of the principal regulations, the following shall be inserted, namely,

"(v) Any transmission capacity available after catering to the requirements of long-term and short-term customers, as advised by the eligible entities by 3.00 P.M. of the day preceding the day for which schedules are being prepared, may be released for use in accordance with sub-clause (c) of clause (ii) or sub-clause (b) of clause (iii), as the case may be, of Regulation 22 of these regulations."

K. S. DHINGRA, Chief (Law)

[ADVT III/IV/150/2006/Exty.]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India (Extraodinary) Part III, Section 4 on 6-2-2004, and were amended by the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-state Transmission) (First Amendment) Regulations, 2005, notified in the Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 on 23-2-2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2006

सं. एल-7/25(7)/2004-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन करने, आवेदन का प्रकाशन और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2004 जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1.　**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन करने, आवेदन का प्रकाशन और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2006 है ।

(2)　ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2.　**विनियम 3 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जा सकेगा, अर्थात्:-

> "परंतु यह कि अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए किए गए आवेदन की सूचना प्रकाशित करना आवश्यक नहीं होगा ।"

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/IV/150/2006/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम तारीख 3.8.2004 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2006

No. L-7/25(7)/2004/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure for making of application for determination of tariff, publication of the application and other related matters) Regulations, 2004, hereinafter called the principal regulations namely :—

1.　**SHORT TITLE AND COMMENCEMENT**

(1)　These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure for making of application for determination of tariff, publication of the application and other related matters) (Amendment) Regulations, 2006.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. **AMENDMENT OF REGULATION 3:** The following proviso may be inserted after clause (6) of Regulation 3 of the principal regulations, namely:

> "Provided that it shall not be necessary to publish notice of the application made for approval of provisional tariff"

K. S. DHINGRA, Chief (Law)

[ADVT III/IV/150/2006/Exty.]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India (Extraodinary) Part III, Section 4 on 3-8-2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.